भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 671
गुरुवार, 6 फ़रवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम

671. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफटीआई-टीटीपी)' शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं, जहां प्रारंभिक चरण में उक्त कार्यक्रम शुरू/ कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम के तहत यात्रियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त कार्यक्रम किस प्रकार यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करेगा; और

(च) क्या सरकार का देश भर के सभी विमानपत्तनों पर उक्त कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (च): सरकार ने भारतीय नागरिकों और भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (एफ़टीआई-टीटीपी) शुरू किया है। यह प्रोग्राम विश्व-स्तरीय आव्रजन सुविधाओं को बढ़ावा देता है और त्वरित आव्रजन मार्ग उपलब्ध कराके यात्रियों को सुविधा प्रदान करता है। यह प्रोग्राम 08 प्रमुख हवाईअड्डों, अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, और अहमदाबाद हवाईअड्डे पर शुरू किया गया है। एफ़टीआई-टीटीपी के लिए पंजीकरण, ऑनलाइन पोर्टल https://ftittp.mha.gov.in के माध्यम से उपलब्ध है। अन्य हवाईअड्डों तक एफ़टीआई-टीटीपी का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है।

****